



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10102022-239508
CG-DL-W-10102022-239508

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 34] नई दिल्ली, सितम्बर 18—सितम्बर 24, 2022, शनिवार/ भाद्र 27—आश्विन 2, 1944
No. 34] NEW DELHI, SEPTEMBER 18—SEPTEMBER 24, 2022, SATURDAY/BHADRA 27—ASVINA 2, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 131.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप कमांडेंट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप कमांडेंट) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर**—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (6) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**—वह व्यक्ति —

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह कारण का लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम (1)	पद संख्या (2)	वर्गीकरण (3)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप कमांडेन्ट	03* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4)	चयन या अचयन पद (5)	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा (6)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित भौक्षिक और अन्य अर्हताएं (7)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर — 11 (67,700—2,08,700 /—रु.)।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और भौक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं (8)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो (9)	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता (10)	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा (11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति द्वारा :— केन्द्रीय सशस्त्र बलों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारियों में से (i) जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर — 11 (67,700—2,08,700 /—रु.) में सदृश

			पद धारण किए हुए है। या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर — 10 (56,100—1,77,500/—रु.) में ऐसे पुलिस उप अधीक्षक या सहायक कमांडेंट जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। आवश्यक : शैक्षिक अर्हताएं— क) मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री। अनुभव : (i) फील्ड क्राफ्ट और रणकौशल से संबंधित आउटडोर और इनडोर प्रशिक्षण की योजना, समन्वय, शिक्षण और संचालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप अधीक्षक/सहायक कमांडेंट की पंक्ति के अनुदेशक/प्रशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। (ii) वह मानचित्र पढ़ने और रणकौशल, विस्फोटक हथियार जैसे क्षेत्रों में सीएपीएफ/राज्य पुलिस संगठन द्वारा संचालित कम से कम दो प्रमाणित पाठ्यक्रमों में अर्हित होना चाहिए। (iii) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप अधीक्षक/सहायक कमांडेंट की पंक्ति में यूनिट/बटालियन में ऑपरेशन फील्ड क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय — (i) साधारण प्रशासन में दो वर्ष का अनुभव। (ii) फील्ड क्राफ्ट और रणकौशल में विशेषज्ञता होना। (iii) विधि में डिग्री और पुलिस से संबंधित विषयों का ज्ञान रखने वाले अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी। टिप्पण — प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--	--

यदि विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. 23011/84/2011—पुलिस ट्रेनिंग]

रमन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 15th September, 2022

G.S.R. 131.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Additional Superintendent of Police / Deputy Commandant in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Additional Superintendent of Police / Deputy Commandant) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix -The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (6) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Additional Superintendent of Police / Deputy Commandant.	03* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial Gazetted, Group-‘A’.	Pay Level 11 (Rs. 67,700-2,08,700/-) in the pay matrix .	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicabl	Deputation

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
By deputation: From amongst officers of the Central Armed Police Forces or State Police Organisations (i) holding analogous posts Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700/-) in the pay matrix. OR (ii) Deputy Superintendent of Police/Assistant Commandant in Level 10 (Rs. 56,100-1,77,500/-) in the pay matrix, with five years regular service in the grade. Essential : Education qualifications: (a) Bachelors degree from recognised Institute. Experience: (i) Three years experience as Instructor or Trainer in the rank of Additional Superintendent of Police/ Deputy Superintendent/Assistant Commandant in planning, coordination, teaching and conduct of outdoor and indoor training related to field craft and tactics. (ii) He should be qualified in minimum two certified courses conducted by the Central Armed Police Forces or State Police organisations in areas like map reading and tactics, explosive weapons. (iii) Two years experience in operation field area in Unit/Battalion in the rank of Additional Superintendent of Police/ Deputy Superintendent/ Assistant Commandant. Desirable: (i) Two year experience in General Administration. (ii) Having specialisation in field craft and tactics. (iii) Preference will be given to officers possessing degree in Law and knowledge of police related subjects. Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date for receipt of application.	Not applicable	Consultation of Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 23011/84/2011-Police Trg.]

RAMAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 132.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी, शिलांग, (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 को, जहां तक उसका संबंध आशुलिपिक ग्रेड -1 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी, शिलांग में आशुलिपिक ग्रेड-1 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी, शिलांग (आशुलिपिक ग्रेड -1) भर्ती नियम 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि:**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:**— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और सघं लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक ग्रेड -1	2* (2022) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500 – 81100/रु.) में ऐसे आशुलिपिक ग्रेड –2 जिसने दस वर्ष की नियमित सेवा की है और जिसने केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान या संगठन से संबंधित क्षेत्र में दो से अत्यून सप्ताह तक अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे आशुलिपिक, (1) जो मुल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है, या (2) जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200–92300/रु.) में या समतुल्य में 5 वर्ष नियमित सेवा की है, या (3) जिसने वेतन मैट्रिक्स स्तर 4 (25500–81100/रु.) में 10 वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परन्तु यह जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे – (i) अपर निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग – अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग – सदस्य (iii) उप निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग – सदस्य समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे – 1. अपर निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग – अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग – सदस्य 3. उप निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग – सदस्य	लागू नहीं होता।

अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी।		
टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 23011 / 105 / 2020-पुलिस ट्रेनिंग]

रमन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 16th September, 2022

G.S.R. 132.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Police Academy, Barapani, Shillong Group-‘B’ posts Recruitment Rules, 2013, in so far as it relates to the post of Stenographer Grade-I, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-I in the North Eastern Police Academy, Barapani, Shillong under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, North Eastern Police Academy, Barapani, Shillong, (Stenographer Grade-I) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix. -The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex Servicemen, the Other Backward Classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stenographer Grade-I	2* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘B’ Non – Gazetted, Ministerial.	Level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix.	Selection posts

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation or absorption to be made.
(10)	(11)
(i) By deputation- fifty percent (ii) By promotion failing which deputation- fifty percent.	Promotion: Stenographer Grade-II in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years of regular service and have successfully completed mandatory training for not less than two weeks in the relevant area from the institute or organization or recognised by Central Government. Deputation: Officers holding the post of Stenographers under the Central Government, (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; Or (ii) with six years' regular service in level 5 of the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent; Or (iii) with ten years regular service in level 4 of the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent. Note 1 :- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 :- The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 3 :- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately proceeding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 4 :- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotions consisting of:- (i) Additional Director, North Eastern Police Academy, Shillong - Chairman (ii) Joint Director, North Eastern Police Academy, Shillong - Member (iii) Deputy Director, North Eastern Police Academy, Shillong -Member Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of:- (i) Additional Director, North Eastern Police Academy, Shillong - Chairman (ii) Joint Director, North Eastern Police Academy, Shillong - Member (iii) Deputy Director, North Eastern Police Academy, Shillong -Member.	Not applicable.

[F. No. 23011/105/2020-PT]

RAMAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 133.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में उप निरीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, उप निरीक्षक, भर्ती नियम, 2022 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर .- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं, आदि:- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं.- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती।

5. शिथिल करने की शक्ति .- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकती।

6. व्यावृत्ति .- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए जिनका उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप निरीक्षक	01* (2022) *(कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसूचित	स्तर - 6 (रु.35,400- 1,12,400/-)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं या (ii) जिनहोंने मूल काडर या विभाग में वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300/- रु.) में छह वर्ष नियमित सेवा की हों; और	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री। (ii) पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण या स्टोर अथवा चलाने या आयुध और गोला-बारूद से संबंधित मामलों को संभालने का एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 – प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

[फा. सं. 23011/124/2022-बीपीआर एंड डी]

डब्ल्यू. एच. मैतै, अवर सचिव

New Delhi, the 19th September, 2022

G.S.R. 133.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sub-Inspector in Central Academy for Police Training, Bhopal, under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, Bhopal Sub-Inspector, Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay level in the pay matrix. – The number of post, its classification and pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sub-Inspector	01* (2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix.	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Administration,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or Department; or (ii) with six years' regular service in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix in the parent cadre or Department; and (b) possessing following qualification and experience,- (i) Bachelors degree from a recognised University or institute; (ii) one year experience of handling matters related to training of police personnel or running of stores or mess or handling of arms and ammunition. Note 1: The period of deputation, including the period of deputation in another ex-Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 23011/124/2022-BPR&D]

W. H. MEITEL, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2022

सा. का. नि. 134.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1978, का अधिक्रान्त करते हुए जहाँ तक इसका संबंध रसोई सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में रसोई सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, रसोई सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
रसोई सहायक	*01(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1, (18,000 - 56,900/-रु.

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच* * 18 से 27 वर्ष के बीच यदि भर्ती अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आवश्यक: - मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष; - सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से सफलतापूर्वक केटरिंग कोर्स (न्यूनतम एक वर्ष) पूरा करना चाहिए - प्रासंगिक क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे

		अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हों; (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।
--	--	---

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर निदेशक (क्लीनिकल), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक (शल्य चिकित्सा), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु - सदस्य 3. सहायक नर्सिंग अधीक्षक, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु - सदस्य 4. उस क्षेत्र में किसी अन्य राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से राजपत्रित अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.12018/13/2020-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 19th September, 2022

G.S.R. 134.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training Research Institute (Group D Posts) Recruitment Rules, 1978, in so far it relates to the post of Kitchen Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Kitchen Assistant in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Kitchen Assistant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kitchen Assistant	01* (2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 (Rs.18000-56900).	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years *	Essential:	Not applicable	Two years
* In case of post being filled up by all India Open	1. Matriculation or equivalent pass from a		

Competition, it would be between 18 years and 27 years. The upper age-limit is relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date of determining the age-limit shall be the last date up to which employment exchange is asked to submit the names.	recognised Board. 2. Should have successfully completed minimum 1 year Catering Course from a recognised Institute. 3. One year experience in the relevant field. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		
--	--	--	--

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation /absorption grade, from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.- (a) holding analogous posts on regular basis; and	Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of- 1. Additional Director (Clinical), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu – Chairman 2. Assistant Director (Surgical), Central Leprosy Teaching	Not applicable.

(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).		and Research Institute, Chengalpattu – Member 3. Assistant Nursing Superintendent, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu – Member 4. A Gazetted Officer from another State Government or Central Government Office in the area - Member.	
---	--	---	--

[F. No. A-12018/13/2020-Lep]

MANOJ KURMAR UPADHYAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 135.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और क्षेत्रीय कुछ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, जिला बांकुरा, पश्चिम बंगाल (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1985 को, जहाँ तक इसका संबंध रोकड़िया के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुछ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल में रोकड़िया के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुछ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल रोकड़िया (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद - संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है., विवाह किया है.; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रोकड़िया	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वें श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति:-ऐसे अवर श्रेणी लिपिक, जिन्होंने रोकड़ और लेखा में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की है और उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।
1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा - अध्यक्ष	
2. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा - सदस्य	
3. चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा - सदस्य ।	

[फा. सं. ए-12018/54/2019-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 20th September, 2022

G.S.R. 135.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Regional Leprosy Training and Research Institute at Gauripur in Bankura District, West Bengal (Group 'C' and Group 'D' Posts) Recruitment Rules, 1985, in so far as it relates to the post of Cashier, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Cashier in the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gauripur, Bankura, West Bengal, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gauripur, Bankura, West Bengal, Cashier (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cashier	01*(2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500 - 81100).	Non-selection

Age- limit for direct recruits	Educational qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable.	Not applicable

Method of recruitment whether by direct or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
By promotion	Promotion: Lower Division Clerks who have passed the departmental test in cash and accounts and with eight years regular service in the grade.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of -	Not applicable.
1. Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gauripur, Bankura -	Chairman
2. Assistant Director or Senior Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gauripur, Bankura	- Member;
3. Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gauripur, Bankura	-Member.

[F. No. A-12018/54/2019-Lep]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

जल शक्ति मंत्रालय
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 136.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, प्रशासनिक और लेखा सेवाएं, ज्येष्ठ हिंदी अनुवादक और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक समूह “ख” पद भर्ती नियम, 2012 को, जहाँ तक उसका संबंध कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (समूह “ख” पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	03 * (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अननुसचिवीय अराजपत्रित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400 रु.)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(6)	(7)
आयु तीस वर्ष से अनधिक। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शासकीय सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग (एस.एस.सी.) द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	(क) शैक्षिक अर्हताएं : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री मास्टर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी माध्यम रहा हो और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम रहा हो और हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (v) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं में हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद में और विपर्ययेन में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कार्य और

	विपर्ययेन में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेसन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण : केंद्रीय सरकार द्वारा यथा- विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण होगा।	सीधी भर्ती: टिप्पण 1 : पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के आधार पर भरी जा सकेंगी,- क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100 रु.) या समतुल्य पद में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और	लागू नहीं होता

		ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले के लिए विहित अर्हता रखता हो। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
--	--	---	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : - अपर निदेशक, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे ; - अध्यक्ष - निदेशक या उप सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, नई दिल्ली; - सदस्य - वैज्ञानिक 'डी', केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-50013/80/2021-ई-II]

प्रशांत मलिक, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI**(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)**

New Delhi, the 20th September, 2022

G.S.R. 136.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Administrative and Accounts Services, Senior Hindi Translator and Junior Hindi Translator, Group 'B' posts of Recruitment Rules 2012 in so far as it relates to the post of Junior Hindi Translator except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translation Officer, in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, namely :-

- Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Junior Translation Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix: - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:-

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non- selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Translation Officer	*03 (2022) *(Subject to variation dependent upon workload)	General Central Service, Group 'B' Non- Ministerial, Non-Gazetted	Level 6 in the pay matrix (Rs.35400 – 112400)	Not applicable

Age-limit for direct recruits

(6)

Not exceeding thirty years of age.

(Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.

(7)

(a) Educational qualifications:

(i) Masters degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

(ii) Masters degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

- (iii) Masters degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or
- (iv) Masters degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or
- (v) Masters Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and
- (b) recognised Diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in the Central Government or State Government office, including Government of India undertakings.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption, and percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruitment. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government	Direct recruitment: Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government, - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years regular service in the post in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.	If Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Director, Central Water and Power Research Station, Pune - Chairman 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation New Delhi - Member 3. Scientist 'D', Central Water and Power Research Station - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A- 50013/80/2021-E-II]

PRASHANT MALIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 137.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, सहायक तकनीकी सेवाएं, कर्मशाला कर्मचारिवृंद श्रेणी (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2010 का, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में शिल्पकार श्रेणी-1 (अतिकुशल), शिल्पकार श्रेणी-2 (अतिकुशल), शिल्पकार (कुशल), शिल्पकार (अर्द्ध कुशल) (समूह 'ग' पद) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, सहायक तकनीकी सेवाएं, कर्मशाला कर्मचारिवृंद, शिल्पकार श्रेणी-1 (अतिकुशल), शिल्पकार श्रेणी-2 (अतिकुशल), शिल्पकार (कुशल), शिल्पकार (अर्द्ध कुशल) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) शिल्पकार श्रेणी-1 (अतिकुशल)	33 * (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)	अचयन	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग (एस एस सी) द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
(1) मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समतुल्य; और (2) सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) या समतुल्य के साथ नौ वर्ष का व्यावहारिक अनुभव या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाणपत्र के साथ आठ वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष (केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए)

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रोन्नति : जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100 रु.) के ऐसे शिल्पकार श्रेणी-2 (अतिकुशल) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित

	अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले की पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
1. वैज्ञानिक 'ई', केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे - अध्यक्ष	1. वैज्ञानिक 'ई', केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे - अध्यक्ष	
2. केंद्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य	2. केंद्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य	
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे - सदस्य	3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे -सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) शिल्पकार श्रेणी-2 (अतिकुशल)	34 * (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)	अचयन	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग (एस एस सी) द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
(1) मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समतुल्य; और (2) सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) या समतुल्य के साथ नौ वर्ष का व्यावहारिक अनुभव या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र के साथ आठ वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष (केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए)	80% प्रोन्नति द्वारा; 20% सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19900-63200 रु.) में ऐसे शिल्पकार (कुशल) जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - वैज्ञानिक 'ई', केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे -अध्यक्ष - केंद्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - वैज्ञानिक 'ई', केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे -अध्यक्ष - केंद्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य - मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले की पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।	3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे -सदस्य	केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे -सदस्य	
---	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(3) शिल्पकार (कुशल)	30* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19900-63200रु.)	अचयन	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग (एस एस सी) द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
(1) मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समतुल्य; और (2) सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) या समतुल्य के साथ तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र के साथ दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित	लागू नहीं होता	दो वर्ष (केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए)	10% शिल्पकार (अर्द्ध कुशल) में से प्रोन्नति द्वारा : 90% सीधी भर्ती द्वारा।

जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
--	--	--	--

(11)	(12)		(13)
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900 रु.) में के ऐसे शिल्पकार (अर्द्ध कुशल) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले की पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षाकी अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. वैज्ञानिक 'डी', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे – अध्यक्ष 2. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी –सदस्य 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे –सदस्य	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. वैज्ञानिक 'डी', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे –अध्यक्ष 2. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी –सदस्य 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे –सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(4) शिल्पकार (अर्द्ध कुशल)	10* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1 (18000-56900 रु.)	लागू नहीं होता।	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा शिथिल करकेचालीस वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग (एस एस सी) द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समतुल्य; और (ii) सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) या सुसंगत व्यवसाय में पांच वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - वैज्ञानिक 'डी', केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —अध्यक्ष - केंद्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य - मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/10/2021-ई-II]

प्रशांत मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 21st September, 2022

G.S.R. 137.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Water and Power Research Station, Pune, Auxiliary Technical Services, Workshop Staff, Craftsman Grade (Group C posts) Recruitment Rules, 2010 except as respect thing done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the post of Craftsman Grade-I (Highly Skilled), Craftsman Grade-II (Highly Skilled), Craftsman (Skilled), Craftsman (Semi Skilled) (Group 'C' posts), in Central Water and Power Research Station, Pune, under Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Central Water and Power Research Station, Pune, Auxiliary Technical Services, Workshop Staff, Craftsman Grade-I (Highly Skilled), Craftsman Grade-II (Highly Skilled), Craftsman (Skilled), Craftsman (Semi Skilled) (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2022.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person :-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) Craftsman Grade - I (Highly Skilled)	33* (2022) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non Ministerial.	Level 5 in the pay matrix (Rs.29200 - 92300)	Non selection

Age limit for direct recruits.	Educational and other Qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 years and 27 years. (The upper age limit is relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the	(1) Matriculation or equivalent pass; and (2) National Trade Certificate (Industrial Training Institute) Or equivalent in the relevant trade with nine years practical	Not applicable	Two years (For direct recruits only)

instructions or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission (SSC).	experience or National Apprenticeship Certificate in relevant trade with eight years practical experience. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		
---	---	--	--

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption, and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation /absorption, grades from which promotion /deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
Promotion; failing which by direct recruitment	Craftsman Grade-II(Highly Skilled) in level 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along-with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)		(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Scientist 'E', Central Water and Power Research Station, Pune, - Chairman 2. A Group 'A' Officer from other Central Government Department - Member 3. Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune - Member.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Scientist 'E', Central Water and Power Research Station, Pune, - Chairman 2. A Group 'A' Officer from other Central Government Department - Member 3. Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(2) Craftsman Grade - II (Highly Skilled)	34* (2022) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted, Non Ministerial.	Level 4 in the pay matrix (Rs.25500 - 81100)	Non selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 years and 27 years. (The upper age limit is relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission (SSC).	(1) Matriculation or equivalent pass; and (2) National Trade Certificate (Industrial Training Institute) Or equivalent in the relevant trade with nine years practical experience or National Apprenticeship Certificate in relevant trade with eight years practical experience. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled	Not applicable	Two years (For direct recruits only)

	Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		
--	--	--	--

(10)	(11)
80% by promotion; 20% by direct recruitment.	Craftsman (Skilled) in Level 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along-with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - Scientist 'E', Central Water and Power Research Station, Pune, - Chairman - A Group 'A' Officer from other Central Government Department - Member - Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune- Member.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: - Scientist 'E', Central Water and Power Research Station, Pune, - Chairman - A Group 'A' Officer from other Central Government Department - Member - Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune- Member. Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(3) Craftsman (Skilled)	30* (2022) *(Subject to variation dependent upon workload)	General Central Services, Group 'C' Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Non selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 years and 27 years. (The upper age limit relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age-	(1) Matriculation or equivalent pass; and (2) National Trade Certificate (Industrial Training Institute) Or equivalent in the relevant trade with three years practical experience or National Apprentice Certificate in relevant trade with two years practical experience. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority,	Not applicable	Two years (For direct recruits only)

limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission (SSC).	for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		
---	---	--	--

(10)	(11)
(i) 10 % by promotion from Craftsman (Semi Skilled) (ii) 90 % by direct recruitment.	Promotion : Craftsman (Semi Skilled) in level 1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) with three years regular service in the grade. Note : Where juniors have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee Group 'C' (for considering promotion) consisting of : 1. Scientist 'D', Central Water and Power Research Station, Pune - Chairman 2. A Group 'A' Officer from other Central Government Department - Member 3. Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune, - Member	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : 2. Scientist 'D', Central Water and Power Research Station, Pune - Chairman 2. A Group 'A' Officer from other Central Government Department - Member 3. Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune, - Member Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(4) Craftsman (Semi Skilled)	10* (2022) *(Subject variation dependent on workload) to	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted, Non Ministerial.	Level 1 in the pay matrix (Rs.18000-56900).	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 years and 27 years. (The upper age limit is relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission (SSC).	i) Matriculation or equivalent pass; and ii) National Trade Certificate (Industrial Training Institute) in relevant trade Or having five years experience in the relevant trade. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment	Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Scientist 'D', Central Water and Power Research Station, Pune – Chairman 2. A Group 'A' Officer from other Central Government Department - Member 3. Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune, - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/10/2021-E-II]

PRASHANT MALIK, Under Secy.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय**(पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय)**

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 138.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग वर्ग 'क' पद भर्ती नियम, 2005 को, जहां तक उनका संबंध उप वित्त सलाहकार के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग में उप वित्त सलाहकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, उप वित्त सलाहकार (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
उप वित्त सलाहकार	1* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-12 (78800 – 209200/- रु.)

चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी जो :- (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) मूल काडर या विभाग में स्तर-11 (67700 - 208700 रु.) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :-	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि, और (ii) लेखा तथा वित्तीय मामलों में दस वर्ष का अनुभव। टिप्पण-1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	--

[फा. सं. NEC -17/27/2021-O/o US (NEC)]

संदीप सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION**(North Eastern Council Secretariat)**

New Delhi, the 27th July, 2022

G.S.R. 138.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2005, in so far as they relate to the post of Deputy Financial Adviser, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Financial Adviser in the Ministry of Development of North Eastern Region, North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely: -

1. **Short title and commencement.** —(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Deputy Financial Adviser (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of post, its classification and pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age- limit, other qualifications, etc.** - The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Deputy Financial Adviser	1* (2021) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 (Rs. 78800-209200/).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment; whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Deputation	Deputation: Officers under the Central Government or State Governments or Union territories Administrations,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 11 (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department; and	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

		(b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's degree from a recognized University or institute; and (ii) ten years experience in accounts and financial matters. Note 1.- Period of deputation including period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed four years. Note 2.- The maximum age- limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.		
--	--	---	--	--

[F. No. NEC-17/27/2021-O/o US (NEC)]

SANDEEP SINGH, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 139.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, सलाहकार (बैंकिंग और उद्योग) भर्ती नियम, 2006 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग में निदेशक (पर्यटन और उद्योग) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, निदेशक (पर्यटन और उद्योग) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
निदेशक (पर्यटन और उद्योग)	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	लेवल - 13 (123100-215900/- रु.)

चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध सरकारी या वैधानिक या	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हों, या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12 (78800-209200/- रुपये) में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; या (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री या समकक्ष; और (ii) औद्योगिक परियोजनाओं, लघु उद्योगों या पर्यटन को बढ़ावा देने में दस साल का अनुभव। टिप्पण-1- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि शामिल है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-2- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

[फा. सं. एनईसी-17/41/2020-अ.स.का. (एनईसी)]

अंजना, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd August, 2022

G.S.R. 139.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Adviser (Banking and Industries) Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Tourism and Industries) in the Ministry of Development of North Eastern Region, North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely: -

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Director (Tourism and Industries) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Director (Tourism and Industries)	01* (2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level- 13 (Rs. 123100-215900/-)

Whether selection post or non-selection post.	Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment; whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Not applicable	Deputation (including short-term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or the State Governments or the Union territories Administrations or public sector undertakings or Universities or recognized research institutions or semi-Government or statutory or autonomous bodies,- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 12 (Rs. 78800-209200/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b)possessing the following educational qualifications and experience : (i) Bachelor's Degree from a recognized University or institute or equivalent; and (ii) ten years' experience in promoting industrial projects, small scale industries or tourism. Note 1.- Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty- six years as on the closing date of the receipt of applications.		
--	--	--

[F. No. NEC-17/41/2020-O/o US (NEC)]

ANJANA, Under Secy.